भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3281
दिनांक 12.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तर प्रदेश में जल संकट

†**3281. श्री आदित्य यादवः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि जल शक्ति मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 'जल जीवन मिशन 2024-25' के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और अंतःक्षेपों के बावजूद, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के कई गाँव अभी भी जल संकट, नल से जल की अनियमित आपूर्ति और जल की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिससे जिले में रहने वाले लगभग पैंतीस लाख लोगों के स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन और दैनिक जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त जिले में गांवों तथा नगरों में जल आपूर्ति की अवसंरचना में सुधार करने, 'कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन' (एफएचटीसी) का विस्तार करने, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण करने, जल की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने और दीर्घकालिक संधारणीय जल प्रबंधन के लिए स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से शामिल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और कृषि तथा घरेलू उपयोग के लिए जल संसाधनों की संरक्षा हेतु राज्यीय अभिकरणों के साथ समन्वय हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को निर्धारित गुणवत्ता की पर्याप्त मात्रा (55 एलपीसीडी) में और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित और पीने योग्य नल जल आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू किया, जिसे अगस्त 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से क्रियान्वित किया जाना है।

पेयजल राज्य का विषय है, और इसलिए, जेजेएम के तहत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

उत्तर प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि वर्तमान में बदायूं जिले के 1446 गांवों में से 870 राजस्व गांवों को नियमित जल आपूर्ति की जा रही है। जिला बदायूं में जेजेएम के तहत जल गुणवत्ता की कोई समस्या नहीं हुई है। गांवों में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से जल गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा, राज्य ने सूचित किया है कि भूजल स्तर में सुधार के लिए जेजेएम के तहत कदम उठाए गए हैं, जिसमें 220 वर्षा जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया है और अतिरिक्त 646 वर्षा जल पुनर्भरण इकाइयों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

जेजेएम के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है। जेजेएम के तहत, परिवारों को नल जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाते समय, रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है। कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए जेजेएम के तहत निधियों के अपने वार्षिक आवंटन का 2% तक उपयोग कर सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपकरणों, उपस्करों, रसायनों, कांच के बने सामान, उपभोग्य सामग्रियों की खरीद, कुशल जनशक्ति को काम पर रखना, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी, जल गुणवत्ता के संबंध में जागरूकता प्रसार, शैक्षिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता आदि शामिल हैं।

वर्ष 2015 में देश के चयनित 500 शहरों (अब 15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहरों) और कस्बों में शुरू किए गए अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत चयनित शहरों तथा कस्बों में जल आपूर्ति; सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन; तूफान जल निकासी; हरित स्थान तथा पार्क; और गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अमृत 2.0 को वर्ष 2021 में सभी शहरी स्थानीय निकायों/शहरों में शुरू किया गया है, ताकि शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनने में सक्षम बनाया जा सके। अमृत 2.0 के तहत, बदायूं जिले में 288.3 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 283 करोड़ रुपये की 07 जल आपूर्ति परियोजनाएं और 5.3 करोड़ रुपये की 03 जल निकाय कायाकल्प परियोजनाएं शामिल हैं। स्वीकृत परियोजनाओं में 1.16 लाख नए/सर्विस नल जल कनेक्शन शामिल हैं।

केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2022 से प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले सहित देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन किया जा रहा है। भूजल संसाधनों के आकलन में सभी प्रयोजनों के लिए कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण, वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन और वार्षिक भूजल निष्कर्षण के अनुमान शामिल हैं।

इसके अलावा, बदायूं जिले में कुल 15 आकलन इकाइयों (ब्लॉकों) में से 02 (13.33%) इकाइयों को 'अति-दोहित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो वार्षिक रूप से पुनर्भरणीय भूजल की पुनःपूर्ति से अधिक भूजल निकासी को दर्शाता है।

जल शक्ति मंत्रालय ने 2019 में देश भर के 256 जल-संकटग्रस्त जिलों में समयबद्ध, मिशन-मोड जल संरक्षण अभियान के रूप में जल शक्ति अभियान (जेएसए) शुरू किया। जेएसए: सीटीआर का छठा संस्करण 22 मार्च 2025 को "जल संचय, जन भागीदारी: जन जागरूकता की ओर" विषय के साथ शुरू किया गया था।

जेएसए, सीटीआर को और सुदृढ़ बनाने के लिए: 6 सितंबर 2024 को सूरत, गुजरात में शुरू की गई "जल संचय जनभागीदारी" (जेएसजेबी) पहल, कम लागत और कार्य-परिपूर्णता मोड में कम लागत वाली वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए सामुदायिक कार्रवाई तथा सहभागिता को तेज करने पर केंद्रित है। जेएसजेबी 1.0 के तहत, प्रभावशाली 27.62 लाख कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और भंडारण कार्य किए गए, जिनमें से उल्लेखनीय 23.83 लाख पहले ही 31 मई 2025 तक पूरे हो चुके हैं, जो भारत के जल संरक्षण अभियान में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 09.03.2026 तक, जेएसजेबी के तहत कुल 4.4 मिलियन से अधिक कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और भंडारण कार्यों की सूचना दी गई है।

(घ) सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और देश भर में कृषि और घरेलू उपयोग के लिए जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय हेतु विभिन्न उपाय किए गए हैं जो इस प्रकार हैं-

- बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और संवर्धनात्मक, वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। केन्द्र सरकार बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" कार्यान्वित कर रही है।
- भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)" शुरू की, जिसका उद्देश्य खेत पर पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार लाना, स्थायी जल संरक्षण परिपाटियों को शुरू करना आदि है। हर खेत को

पानी (एचकेकेपी) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के घटकों में से एक घटक है।

- केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने बदायूं जिले के पूरे मैप करने योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूआईएम) परियोजना पूरी कर ली है, जो लगभग 4237.88 वर्ग किलोमीटर है। जलभृत मानचित्र और प्रबंधन योजनाएं तैयार कर ली गई हैं और कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य एजेंसियों को साझा की गई हैं। बदायूं जिले के लिए एनएक्यूयूआईएम अध्ययनों के तहत, विभिन्न आपूर्ति और मांग पक्ष प्रबंधन हस्तक्षेपों का प्रस्ताव किया गया है।
- सीजीडब्ल्यूबी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 तैयार किया है, जो बदायूं जिले सहित विभिन्न भू-भाग परिस्थितियों हेतु विभिन्न संरचनाओं को दर्शाने वाली एक वृहद स्तर की योजना है.
- मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक मॉडल विधेयक परिचालित किया है ताकि वे भूजल विकास के विनियमन के लिए उपयुक्त भूजल विधान अधिनियमित कर सकें। मॉडल विधेयक में परिकल्पना की गई है कि शहरी क्षेत्रों में इमारतों की छतों और अन्य खुले क्षेत्रों से उपलब्ध वर्षा जल का भूजल पुनर्भरण के लिए लाभकारी उपयोग किया जा सकता है।
- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण की सिफारिश की गई है तथा वर्षा जल के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

***